न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 35/2018

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मनोहर सिंह पुत्र श्री विजयसिंह		1. अमरसिंह पुत्र श्री विजयसिंह
2. कानसिंह पुत्र श्री विजयसिंह		2. उदयसिंह पुत्र श्री विजयसिंह
3. राजूसिंह पुत्र श्री विजयसिंह		3. लादूसिंह पुत्र श्री विजयसिंह
सभी जाति राजपूत		4. मदनसिंह पुत्र श्री विजयसिंह
निवासीगण ग्राम अरटिया खुर्द		सभी जाति राजपूत निवासीगण ग्राम अरटिया खुर्द
तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर		तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर
		5. तहसीलदार तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 1047 ग्राम अरटिया खुर्द जो नायब तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 12.03.2018को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति:-
1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता भूपत सिंह जोधा उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह गहलोत उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 25.10.2018

अपीलान्ट मनोहरसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अरटिया खुर्द तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर वगैरह की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट श्री अमरसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अरटिया खुर्द तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध नायब तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 12.03.2018 को स्वीकृत नामान्तरकरण 1047 ग्राम अरटिया खुर्द को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम अरटिया खुर्द में खसरा नंबर 268 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 667 रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा , खसरा नंबर 119 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 173 रकबा 9

बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 244 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 270 रकबा 25 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 569 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 668 रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा नंबर 8 कुल रकबा 128 बीघा 10 बिस्वा भूमि आई हुई है। जो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसमें प्रत्येक पक्षकार का 1/7 – 1/7 हिस्सा था जिसका बंटवारा का दावा अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया लेकिन बंटवाड़ा आदेश सही नहीं किया गया जिसके विरूद्ध अपील पेश की गई जो विचाराधीन होते हुए भी अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत करने में कानूनी व वाकियाती भूल करने, कानूनन जिस आदेश के तहत म्यूटेशन पारित किया जाता है उसे आदेश की अपीलाधीन अवधि समाप्त होने के बाद पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना म्यूटेशन स्वीकृत करने, आदेश की इजराय की कार्यवाही किये बगैर म्युटेशन पारित किया जाने, जिस आदेश की पालना में म्यूटेशन पारित किया गया था उसके विरूद्ध अपील पेश कर उसकी सूचना तहसीलदार को देने के बावजूद अपील विचाराधीन होते हुए भी म्यूटेशन को स्वीकृत करने आदि आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नायब तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 12.03.2018 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1047 ग्राम अरटियाखुर्द को निरस्त किया जानेका निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नायब तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 12.03.2018 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1047 ग्राम अरटियाखुर्द को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपतसिंह जोधा व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह गहलोत ने अपनी बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के आदेश दिनांक 05.03.2018 व तहसीलदार भोपालगढ के आदेश दिनांक 06.03.2018 की अनुपालना में बंटवाड़ा का नायब तहसीलदार भोपालगढ द्वारा दिनांक 12.03.2018 को नामान्तरकरण संख्या 1047 ग्राम अरटियाखुर्द में स्वीकृति आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करते एवं गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलान्टस द्वारा इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के निर्णय एवं डिक्री की अनुपालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1047 ग्राम अरटिया खुर्द को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है। चूंकि अपीलान्टस द्वारा उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2018 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में अपील करने पर तहसीलदार भोपालगढ को मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर एवं उभयपक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय व डिक्री पारित करने का आदेश दिनांक 18.07.2018 को दिया गया है। अतः अपील

अपीलान्टस खारिज की जाकर तहसीलदार भोपालगढ को निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी भी न्यायालय से स्थगन न हो तो न्याय के विधिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भोपालगढ को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर